E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

प्राचीन भारतीय अभिलेखों में आर्थिक विमर्श

प्रताप विजय कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
प्राचीन इतिहास विभाग,
पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
ही0रा0स्ना0महाविद्यालय,
खलीलाबाद, संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में अभिलेखों का स्थान अग्रणी है, क्योंकि अभिलेख राजाओं द्वारा उनके शासन में जारी किये गये जब वे राज्य किये, इसलिए उस कालखण्ड के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में आभिलेखिक साक्ष्यों को स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के फेरबदल या काट छांट की संभावना नहीं रह जाती है। इस दृष्टि से भारत के आर्थिक इतिहास या चिंतन के विषय में आभिलेखिक साक्ष्य से जो हमें जानकारी मिलती है वह मौर्य युग से प्रारम्भ होती है, सम्राट अशोक के रूम्मिनदेई स्तम्भ लेख में यह उल्लेख मिलता है कि राजा के रूप में उसने अपनी मात्रा के दौरान लुम्बिनी की जनता से 'बलि' नामक कर को माफ कर दिया और 'भाग' नामक कर को आठवाँ भाग लेने का निर्देश किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि यह अभिलेख न प्राप्त हुआ होता तो अशोक के लुम्बिनी यात्रा एवं वहॉ जनता को बलि कर से मुक्ति तथा भाग नामक कर से छूट की सम्यक सूचना हमें प्राप्त न होती। अतएव आर्थिक चिंतन ही नही अपितु इतिहास के किसी भी पहलू पर सम्यक जानकारी के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है, आर्थिक चिंतन के लिए भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अध्ययन नवीन आयाम प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : उद्रंग, उपरिकर, अग्रहार, विष्टि, उपनिधि, क्लिप्त, उपक्लिप्त, तंतुवाय।

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत हैं वे मुख्यतः दो प्रकार के हैं– प्रथम साहित्यिक स्रोत एवं दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य के अन्तर्गत वैदिक ग्रन्थ, महाकाव्य, बौद्ध पालि साहित्य, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थ आते हैं वहीं पुरातात्विक स्रोत के अन्तर्गत विभिन्न रजवंशों के शासकों द्वारा उट्टंकित कराये गये अभिलेख और उनके द्वारा प्रवर्तित मुद्राएं एवं स्मारकों तथा प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त सामग्री आते है। यहाँ आर्थिक अध्ययन की सामग्री के रूप में आभिलेखिक साक्ष्य को मुख्य आधार मानकर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध का उद्देश्य

प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के लिए मुख्यतः साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, मुख्य साधन हैं। साहित्य में वेद, उपनिषद, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध ग्रन्थ, जैन ग्रन्थ पणिनि, कौटिल्य पतंजलि कालिदास, आदि द्वारा विरचित साहित्य स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परन्तु इन साहित्यों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास का अभाव दृष्टगत होता है क्योंकि पहले तो इनके रचना काल को लेकर मतैक्य नही दिखता है। वेद, उपनिषद्, बौद्ध ग्रन्थ एवं कौटिल्य, कालिदास आदि के काल को लेकर कई मत दिखायी देते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में भी भ्रान्तियाँ विद्यमान है। इसके विपरीत आभिलेखिक साक्ष्यों में कम से कम काल गणना को लेकर संशय नहीं दिखता। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज के किसी भी पहलू के अध्ययन में अभिलेखों के अध्ययन को अपेक्षाकृत विश्वसनीय माना जा सकता है। साहित्य में जहाँ समय–समय पर पुनर्लेखन से प्रक्षिप्तांश की संभावना रहती है वहीं अभिलेखों में इसकी कोई गुंजाईश नहीं है। इसी उद्देश्य से प्राचीन भारत के अर्थ चितंन के अध्ययन के लिए प्रस्तुत विषय का चयन किया गया है।

विषय विस्तार

प्राचीन भारत के अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अभिलेखों से प्रकाश पड़ता है। आभिलेखिक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते है, क्योंकि वे मुख्यतः उस काल खण्ड का वास्तविक प्रतिनिधित्व

कर रहे होते हैं, जिस काल में उनका लेखन या अभिलेख का उट्टंकन किया गया। इनमें किसी प्रकार का फेर बदल या काट–छांट करने की संभावना नही है। इसलिए अभिलेख तत्युगीन इतिहास एवं आर्थिक पहलू को जानने का एक उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। प्राचीन भारत में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उट्टंकित कराये गये अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन स्वीकार किये गये हैं। लेकिन उनमें अर्थ–व्यवस्था या आर्थिक चिंतन से सम्बन्धित उल्लेख अपेक्षाकृत कम हैं। मौर्य सम्राट अशोक के रूम्मिनदेई लघु स्तम्भ लेख से इस बात की सूचना मिलती है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की धम्म यात्रा पर गया, जहाँ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अपने इस यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ की जनता (प्रजा) से बलि नामक कर जो प्रजा स्वेक्षया देती थी, उसे माफ कर दिया और 'भाग' नामक कर जो भूमिकर के रूप में उपज का छठाँ भाग लिया जाता था, इसको अठभागिये अर्थात आठवाँ भाग लेने का आदेश उक्त अभिलेख में किया गया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में 'भाग' नामक कर की दर उपज का 1/4 भाग लिये जाने का उल्लेख है।[1]

शक–सातवाहन युगीन समाज एवं संस्कृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल में 'कर' का स्वरूप अत्यंत व्यापक हो चुका था। शक शासक रूद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में, जो भारत वर्ष का प्रथम विस्तृत संस्कृत अभिलेख है, इसमें तत्युगीन आर्थिक जीवन की कतिपय जानकारी भी उपलब्ध है। इस अभिलेख में 'विष्टि' और 'प्रणय' कर के अतिरिक्त 'कर' 'भाग' भोग, हिरण्य आदि प्रजा से राज्य द्वारा लिए जाने वाले करों की चर्चा है।[2] नहपान के समय के नासिक अभिलेख में वर्णन मिलता है कि नदियों के पार उतारने पर लगने वाले कर (खेवा) से उसने मुक्ति प्रदान की थी।[3] गुप्त युगीन शासकों के अभिलेखों में राजाओं द्वारा लगायी गयीं 'कर' प्रणाली का संकेत अधिकाधिक प्राप्त होता है। धरसेन द्वितीय के मालिय ताम्रपत्र अभिलेख में विभिन्न प्रकार के 'करों' की एक लम्बी सूची दी गयी है, जिसमें दान लेने वाले की विमुक्तियाँ उल्लिखित हैं। यहाँ 'वापि' 'उद्रंग' 'उपरिकर' वात, 'भूत' 'धान्य' हिरण्य और 'विष्टि' की चर्चा है। इस युग के अभिलेखों में अग्रहार गॉवों को राज्य द्वारा उक्त करों से विमुक्त कर दिये जाने का विवरण मिलता है।[4]

राजाओं द्वारा गॉवों से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा उन पर राज्य का अधिकार की सूचक प्रथाओं में चाट–भाट और राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रवेश का निषेध, गाय, बैल, फल फूल, दूध, एवं भोग वाली वस्तुओं की प्राप्ति, चरागाह, चमड़ा, कोयला, नमक की खानों एवं जमीन में गड़ी हुई सम्पत्ति (द्रोण), जनता से ली जाने वाली वेठ, वेगार (विष्टि), निधि, उपनिधि, क्लिप्त एवं उपक्लिप्त की एक लम्बी सूची वाकाटक शासक धरसेन द्वितीय के चम्मक अभिलेख में भी प्राप्त होती है।[5] इसी प्रकार सातवाहन शासक वाशिष्टी पुत्र पुलमावि के नासिक गुहालेख से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लगाये गये सभी प्रकार के कर धर्मानुकूल थे।[6] महाक्षत्रप रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की चर्चा मिलती है कि उसने सुदर्शन तड़ाग के पुनर्निर्माण में जनता से अतिरिक्त कर लगाये बगैर ही अपने स्वयं के कोष से धन व्यय करके किया था, जहाँ 'कर' विष्टि प्रणय की चर्चा है जिसमें विष्टि बेगार श्रम के रूप में तथा प्रणय कर आपात कालीन कर के रूप में जनता से लिया जाता था।[7]

खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में व्यापारिक निगमों का उल्लेख है, इस काल में श्रेणियों तथा व्यापार की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। किन्तु इस सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य गुप्त युगीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुमार गुप्त वन्धु वर्मा के मन्दसौर प्रशस्ति एवं समुद्रगुप्त के इन्दौर ताम्रपत्र लेख में रेशम बुनकर अर्थात तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि एक तंतुवाय श्रेणी दक्षिण गुजरात के लाट नामक स्थान से प्रत्यावर्तित होकर मन्दसौर (दशपुर) आ गयी। जहॉ उनका यथोचित आदर के साथ सम्मान हुआ। इस श्रेणी के सदस्य विविध व्यवसाय में निपूण थे और साथ ही अपने तंतुवाय शिल्प में थी। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त युग में भारत का रोम से व्यापार जो कुषाण युग से प्रारम्भ हुआ था, पतनोन्मुख हुआ, और रेशम रोम से व्यापार का एक प्रमुख साधन था, उसकी मॉग कम हो गयी, जिससे तंतुवाय श्रेणी लाट से दशपुर आ गयी और विविध व्यवसाय अपनाकर जीविकोपार्जन करने लगी। इस अभिलेख से यह भी सूचना मिलती है कि 436ई0 में इस तंतुवाय श्रेणी द्वारा अपनी आय से एक सूर्य मन्दिर का निर्माण कराया और 472ई0 में इसके कुछ भाग भग्न होने पर उसका जिर्णोद्धार भी कराया था।[8]

स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उसके राष्ट्रीय या गोप्ता पर्णदत्त जो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था, उसकी प्रशंसा इसलिए किया गया है कि वह राजकीय अर्थ (कर) का संग्रह न्याययोचित ढंग से करता था।[9] प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य द्वारा किये गये विशेष कार्यो में नहरों का निर्माण एवं रख–रखाव एक प्रमुख कार्य प्रतीत होता हैं। इस सम्बन्ध में महाक्षत्रप रूद्रदामन एवं गुप्त वंशीय शासक स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण सूचनायें देता है कि सुदर्शन तड़ाग का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य वंश का प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रान्त का प्रान्तपति पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। उसके पश्चात् सम्राट अशोक के काल में उसके सौराष्ट्र प्रांतपति तुषाष्क द्वारा इस झील से नहरों को निकलवाया गया। इसके बाद महाक्षत्रप रूद्रदामन के समय में अगहन महीने के भीषण वर्षा से उस झील के बांध टूट जाने के कारण अपने स्वयं के कोष से उसक जीर्णोद्धार कराया और पुनः स्कन्दगुप्त के समय भादो एवं क्वार में झील टूटने से प्रजा के लिए वह कष्टकारी हो गयी, तब स्कन्दगुप्त के गोप्ता पर्णदन्त के पुत्र चक्रपालित उसकी मरम्मत कराकर अगले एक सौ वर्ष के लिए वहॉ की जनता को बाढ़ एवं सूखे के भय से मुक्त कर दिया था।[10]

इसी प्रकार खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है कि उसने राजकीय धन का व्यय और उपयोग कहाँ और किस प्रकार से किया। इस अभिलेख में कर मुक्ति के उदाहरण एवं सिद्धान्त के साथ नहरों के निर्माण

की भी चर्चा है।[11] यहॉ तक कि वापि तड़ाग, सरोवर, तालवनों की स्थापना की गणना राजकर्त्तव्यों में की गयी है जिसका उदाहरण दक्षिण भारत के वसुषेण आभीर के नामार्जुनीकोण्डा अभिलेख में मिलता है।[12] एक दूसरा प्राचीनतम् आभिलेखिक साक्ष्य गोरखपुर जनपद के सोहगौरा से प्राप्त है जो यह उल्लेख करता है कि यहॉ राज्य की तरफ से आपात कालीन कोष्ठागार स्थापित किये गये थे, जिनका उपयोग अकाल (दुर्भिक्ष) एवं अन्य दैवी आपदाओं के समय किया जाता था।[13]

प्राचीन भारतीय आभिलेखिक साक्ष्यों से प्रत्येक गॉव की सीमाओं के भी स्पष्ट संकेत मिलते है, जिनके अन्तर्गत कूप, तड़ाग, वृक्ष, राजपथ, पुलिया, नाले, सीमा स्तम्भ, वन, खाईयॉ, पशुमार्ग, मेड़ों के साथ सीमाओं का उल्लेख किया जाता था।[14] साथ ही अनुदानित गॉवों की चौहद्दी भी अभिलेखों में प्रदान की गयी है। इस प्रकार अभिलेखिक साक्ष्यों के आलोक में प्राचीन भारतीय समाज का अर्थ चिंतन एक नवीन दृष्टि से विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में आभिलेखिक साक्ष्यों का विशेष महत्व है, अभिलेखों में वे जिस भी राजवंश या शासक से सम्बन्धित हैं उस काल खण्ड के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए उन अभिलेखों के आलोक में समाज के किसी भी क्षेत्र में अध्ययन एक नवीन आयाम प्रस्तुत करने में सहायक होगा और प्राचीन भारतीय अर्थ चिंतन हेतु अभिलेखों का अध्ययन वास्तविक स्थिति को जानने में महत्वपूर्ण है। अभिलेखों में श्रेणी संगठनों, अक्षयनीवि, व्यापार, शिल्प आदि के विषय में सम्यक चर्चा है, तथा राजाओं द्वारा लिए जाने वाले कर एवं करों से छूट आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों के माध्यम से आर्थिक इतिहास एवं समाज के अर्थ व्यवस्था, व्यापार एवं उससे समाज में हुए परिवर्तन को समझने का अभिलेख एक उचित माध्यम हैं।

अंत टिप्पणी

1. *प्रो0 श्रीराम गोयल – प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह (प्राक् गुप्त युगीन) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–1982, खण्ड–1, पृष्ठ 118–119*
2. *वही पृष्ठ – पृष्ठ – 325, 339*
3. *डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक – प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास –उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ–2004 पृष्ठ– 44*
4. *फ्लीट जे0एफ0 –कार्पस इन्स्कृप्शनम इण्डिकेरम, जिल्द–3, पृष्ठ –170*
5. *वही – जिल्द–3, पृष्ठ– 238, 242*
6. *'धर्मोपचित कर विनियोग करस कितापराधे' डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक – प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ–2004*
7. *प्रो0 श्रीराम गोयल – प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह–खण्ड–1 (प्राक् गुप्त युगीन) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ, अकादमी–1982, पृष्ठ 338,–339*
8. *श्रेण्या देशेन भत्या चा कारितं भवनं रवेः। डी0सी0 सरकार – सेलेक्ट इन्स्कृप्शंस भाग–1 पृष्ठ–283*
9. *कार्पस इन्सकृप्शनम् इण्डिकेरम– भाग–3 पृष्ठ– 59*
10. *डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक – प्राचीन भारतीय का आर्थिक इतिहास–उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, पृष्ठ–44, 45*
11. *वही – पृष्ठ– 44,45*
12. *प्रो0 श्रीराम गोयल – प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, प्राक् गुप्त, युगीन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ 465*
13. *वही*
14. *हस्तिन का खोह अभिलेख तथा जयनाथ का भूमरा प्रस्तर अभिलेख द्रव्यव्य : प्रो श्रीराम गोयल – प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, प्राक् गुप्त युगीन, खण्ड–1 राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी*